



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042022-235319
CG-DL-E-22042022-235319

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1825]
No. 1825]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/ वैशाख 2, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2022

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् का गठन

का.आ. 1916(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् का पुनर्गठन करते हैं और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति तथा उसके संगठन और क्रियाविधि को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करते हैं अर्थात्-

1. परिषद् का संगठन:

(I) परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- | | | | |
|------|---|---|-----------|
| (क) | केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री | : | अध्यक्ष |
| (ख) | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री | : | उपाध्यक्ष |
| (ग) | सदस्य (पूर्णकालीन), नीति आयोग | : | सदस्य |
| (घ) | विधानमंडलों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री | : | सदस्य |
| (ङ.) | दादरा व नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का एक-एक प्रतिनिधि | : | सदस्य |

- (च) संसद सदस्य : सदस्य
1. डा. सुभाष रामराव भामरे : लोकसभा
 2. डा. अरविन्द कुमार शर्मा : लोकसभा
 3. डा. सुमेर सिंह सोलंकी : राज्य सभा
 4. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : राज्य सभा
- (छ) गैर-सरकारी सदस्य:
- (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के प्रतिनिधि
1. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा संघ (पदेन) : सदस्य
 2. अध्यक्ष, भारतीय परिवार नियोजन संघ, मुंबई (पदेन) : सदस्य
 3. अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली (पदेन) : सदस्य
 4. अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली (पदेन) : सदस्य
 5. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली (पदेन) : सदस्य
 6. अध्यक्ष, अखिल भारतीय नियोक्ता संघ, नई दिल्ली (पदेन) : सदस्य
- (ज) सरकारी सदस्य:
1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग : सदस्य
 2. सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक (आई.सी.एम.आर) : सदस्य
 3. सचिव, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय : सदस्य
 4. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय : सदस्य
 5. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय : सदस्य
 6. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक : सदस्य
 7. आर्थिक सलाहकार : सदस्य-सचिव
- (II) लोकसभा के सदस्य तब तक परिषद् के सदस्य होंगे जब तक वे या तो लोकसभा के सदस्य हैं या दो वर्ष के लिए, जो भी पहले हों।
- (II) राज्यसभा के सदस्य तब तक परिषद् के सदस्य होंगे जब तक वे राज्यसभा के सदस्य हैं या दो वर्ष के लिए, जो भी पहले हों।
- (IV) परिषद् की बैठकों में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, अनुपूरक नियम 190 के उपबंधों तथा भारत सरकार द्वारा उनके अधीन समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार नियमित किए जायेंगे।
- (V) होने वाले व्यय की पूर्ति इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से की जाएगी।
- (VI) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विशेषज्ञ तथा तकनीकी सलाहकार इस परिषद् के सदस्य नहीं होंगे और परिषद् द्वारा निर्णय लिए जाते समय उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु यदि परिषद् द्वारा अपेक्षित हो तो वे परिषद् की बैठक में हाजिर होंगे।
- (VII) परिषद् का सचिवीय स्टॉफ होगा, जिसमें एक सचिव होगा तथा उतने अधिकारी और पदधारी होंगे जितने केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष, नियुक्त करना उचित समझे।

2. इस परिषद् द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति:

परिषद् एक सलाहकार निकाय होगा और उस हैसियत से यह निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्-

- (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मामले में संबंधित सभी पहलुओं पर नीति की मोटी-मोटी रूपरेखा पर विचार-विमर्श तथा सिफारिश करना जैसे-उपचारी, स्वास्थ्यवर्धक और निवारक उपचार का प्रावधान, पर्यावरणिक सफाई, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना;
- (ख) चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के मामलों से संबंधित क्रियाकलाप के क्षेत्रों में विधान के लिए प्रस्ताव तैयार करना और समस्त देश के विकास के लिए प्रतिमान निर्धारित करना;
- (ग) त्योहारों के अवसर पर महामारियों के फैलने और विपत्ति की स्थिति जैसे भूकंप तथा सूखे की स्थिति में अंतर-राज्यीय संगरोधन के संबंध में व्यापक आधार पर यथासंभव सहयोग की संपूर्ण संभावना का पता लगाना और सामान्य कार्यक्रम तैयार करना;
- (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रयोजनों के लिए उपलब्ध सहायता अनुदानों को राज्यों में वितरित करने के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना और इन सहायता अनुदानों के उपयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हुए कार्य की आवधिक समीक्षा करना; और
- (ङ) केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशासनों के बीच सहयोग बनाए रखने और उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे किन्हीं संगठन अथवा संगठनों की स्थापना करना जिन्हें उपयुक्त कार्य सौंपे जाएं।

3. परिषद् की कार्य प्रक्रिया:

परिषद् अपने कामकाज के संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी, नामतः-

- (क) परिषद् हर वर्ष एक या अधिक बार अपनी बैठक करेगी;
- (ख) इस परिषद् की बैठक उस समय और उस स्थान पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नियत किया जाएगा;
- (ग) इस परिषद् की बैठक के लिए पांच सदस्यों (अध्यक्ष सहित) का कोरम होगा;
- (घ) अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या कोई ऐसा सदस्य, जिसे पैरा-1 के उप पैरा (I) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामोद्दिष्ट किया जाएगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा;
- (ङ) इस परिषद् की बैठक में उठाए जाने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय बैठक में उपस्थित सदस्यों (अध्यक्ष सहित) के बहुमत से किया जाएगा।
- (च) मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दूसरा अथवा निर्णायक मत होगा।
- (छ) परिषद् अपने कामकाज के लिए ऐसी अन्य प्रक्रिया का पालन करेगी जो वह केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर निर्धारित करे।

[फा. सं. जैड-16011/02/2021-बी.पी.]

राजेश भूषण, सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2022

Constitution of Central Council of Health and Family Welfare

S.O. 1916(E).—In exercise of the powers conferred by the Article 263 of the Constitution, the President hereby reconstitutes the Central Council of Health and Family Welfare and defines the nature of duties to be performed by it and its organization and procedure as follows, namely: -

1. Organization of the Council:

(I) The Council shall consist of: -

- | | | | |
|-----|--|---|---------------|
| (a) | The Union Minister for Health and Family Welfare | : | Chairman |
| (b) | The Union Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare | : | Vice Chairman |

- | | | | |
|-------|---|---|------------------|
| (c) | Member (Full time), NITI Aayog | : | Member |
| (d) | Minister in charge of the Ministries of the Health and Family Welfare, Medical Education and Public Health in the States/Union Territories with Legislatures | : | Members |
| (e) | A representative each of the Union Territories Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu, Chandigarh, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Jammu & Kashmir and Ladakh | : | Members |
| (f) | Member of Parliament | : | Members |
| | 1. Dr. Subhash Ramrao Bhamre | : | Lok Sabha |
| | 2. Dr. Arvind Kumar Sharma | : | Lok Sabha |
| | 3. Dr. Sumer Singh Solanki | : | Rajya Sabha |
| | 4. Shri Dineshchandra Jemalbhai Anavadiya | : | Rajya Sabha |
| (g) | Non-Officials | | |
| (i) | Representatives from Health and Family Welfare Sector | | |
| | 1. President, Indian Medical Association (Ex-officio) | : | Member |
| | 2. President, Family Planning Association of India, Mumbai (Ex-officio) | : | Member |
| | 3. President, Indian Council of Child Welfare, New Delhi (Ex-officio) | : | Member |
| | 4. Chairperson, Central Social Welfare Board, New Delhi (Ex-officio) | : | Member |
| | 5. President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi (Ex-officio) | : | Member |
| | 6. President, All India Organisations of Employers, New Delhi (Ex-officio) | : | Member |
| (h) | Officials: | | |
| | 1. Secretary, Department of Health and Family Welfare | : | Member |
| | 2. Secretary, Department of Health Research and Director General (ICMR) | : | Member |
| | 3. Secretary, Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) | : | Member |
| | 4. Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development | : | Member |
| | 5. Secretary, Ministry of Women and Child Development | : | Member |
| | 6. Director General of Health Services | : | Member |
| | 7. Economic Adviser | : | Member-Secretary |
| (II) | The Members of Lok Sabha shall be Members of the Council so long as they are members of Lok Sabha or for two years, whichever is earlier. | | |
| (III) | The Members of Rajya Sabha shall be Members of the Council so long as they are members of Rajya Sabha or for two years, whichever is earlier. | | |

- (IV) The travelling and daily allowances of the non-official members for attending the meetings of the Council shall be regulated in accordance with the provision of Supplementary Rule 190 and orders of the Government of India there-under as issued from time to time.
- (V) The expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the purpose.
- (VI) Experts and technical advisers to the Central Government and State Governments shall not be members of the Council and shall not have any right to vote when any decision is taken by it but shall, if so required by the Council, be in attendance at its meetings.
- (VII) The Council shall have a Secretarial staff consisting of a Secretary and such officers and officials as the Chairman may, with the approval of the Central Government, think fit to appoint.

2. Nature of the duties to be performed by the Council:

The Council shall be an advisory body and in that capacity shall perform the following duties, namely: -

- (a) To consider and recommend broad lines of policy in regard to matters concerning Health and Family Welfare in all its aspects, such as the provision of remedial, promotive and preventive care, environmental hygiene, nutrition, health education and the promotion of facilities for training and research;
- (b) To make proposal for legislation in fields of activity relating to medical and public health and Family Welfare matters, laying down the pattern of development for the country as a whole;
- (c) To examine the whole field of possible co-operation on a wide basis in regard to inter-State quarantine during time of festivals, out-break of epidemics and serious calamities such as earth-quakes and famines and to draw up a common programme of action;
- (d) To make recommendations to the Central Government regarding distribution of available grants-in-aid for Health and Family Welfare purposes to the States and to review periodically the work accomplished in different areas through the utilization of these grants-in-aid; and
- (e) To establish any organization or organizations invested with appropriate functions for promoting and maintaining co-operation between the Central and State Health and Family Welfare administration.

3. Procedure of the Council:

The Council shall in its conduct of business observe following procedures, namely: -

- (a) The Council shall meet once or more each year;
- (b) It shall meet at such time and place as the Chairman may appoint in this behalf;
- (c) Five members (including the Chairman) shall form the quorum for a meeting of the Council;
- (d) The Chairman and, in his absence Vice-Chairman or such member as may be designated by the Chairman in this behalf from among the members referred to in clause (d) of sub-paragraph (I) of paragraph 1 shall preside at the meeting;
- (e) All questions which may come up before the Council at the meeting shall be decided by a majority of vote of the members (including the Chairman) present at the meeting;
- (f) In case of equality of votes, the person presiding shall have a second or casting vote;
- (g) The Council shall observe in the conduct of its business such other procedure as it may, with the approval of the Central Government, lay down from time to time.

[F.No.Z-16011/02/2021-BP]

RAJESH BHUSHAN, Secy.